**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.12.2024**

**थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 25000/- रु0 के ईनामी 03 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

दिनांक 23-10-2024 को थाना नन्दग्राम पर वादी श्री राहुल शर्मा पुत्र लक्ष्मण शर्मा निवासी सी- 233 रामनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा मेरे व मेरे दोस्त के भाई के साथ जान से मारने की नियत से लाठी व डण्डों से हमला करना जिससे दीपक शर्मा मौके पर ही बेहोश हो गये तथा अभियुक्त गण हम लोगो को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओ में थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**कार्यावाही का विवरण-** अभि0गण की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किया जा रहे थे, अभि0गण लगातार फरार चल रहे थे, अभि0गण के विरुद्ध 25000/- का ईनाम घोषित हुआ था, उक्त घटना के संबंध में पूर्व में दो अभियुक्तगण अशुंल व यदु यादव को दिनांक 17-12-24 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया था, शेष अभियुक्तगण में से 03 अभि0गण को दिनांक 29-12-24 को सर्विलांस व लोकल इनपुट के माध्यम से ए0एल0टी कट से राजनगर एक्स0 जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

(1) सौरव यादव पुत्र स्व0 प्रेम सिंह यादव निवासी म0नं0 1238 सैक्टर-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र -26 वर्ष
(2) राहुल यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र -22 वर्ष।
(3) हिमांशु यादव पुत्र स्व0 संजय यादव निवासी म0नं0 188 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब-22 वर्ष।

**पूछताछ का विवरण-** अभि0गण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि राहुल शर्मा और हम लोग आपस में दोस्त है, दिनांक 22/23-10-24 की रात्रि को राहुल शर्मा द्वारा जन्मदिन की पार्टी दी गयी थी, पार्टी राजनगर एक्सटेंशन वीवीआईपी मंगलम के पास में थी। जहां पर शराब पीकर झगडा हो गया था, उसी झगडे में राहुल शर्मा, दीपक शर्मा व आकाश के चोटे आ गयी थी।

**गिरफ्तार करने वाली टीम---**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।**

दिनांक 23.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त गुलाम रसूल पुत्र ईशू शाह हाल निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,मूल निवासी ग्राम मटियार थाना सैय्यारा जिला सीतामढी बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मोटरसाइकिल से घूम फिर कर पहले रैकी करता हूँ तथा मौका पाकर वाहन चोरी कर लेता हूँ। यह मोटर साइकिल मैंने करीब 01 माह पूर्व दौलतनगर मस्जिद के पास से चोरी की थी। मैं चोरी की गयी मोटर साइकिल को फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

गुलाम रसूल पुत्र ईशू शाह हाल निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,मूल निवासी ग्राम मटियार थाना सैय्यारा जिला सीतामढी बिहार, उम्र करीब 23 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।**

दिनांक 28.12.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त आमिर पुत्र इलियास निवासी अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को किकडों के पास चौकी क्षेत्र डाबर तालाब अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की गई 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की थी जिसे मैंने बेचने के लिए अभी तक छिपा रखा था। आज मैं इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश हेतु निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

आमिर पुत्र इलियास निवासी अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर वाहन चोरी का 01 अभियोग तथा थाना लोनी बॉर्डर पर लूट व आयुध अधिनियम के कुल 02 अभियोग तथा थाना लोनी पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है एवं उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी का जा रही है।

**गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

**थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा ई- रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले 03 बाल अपचारी पुलिस हिरासत में व 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ई-रिक्शा से चोरी की हुई 16 बैट्री व 01 ठेला (तीन पहिया) बरामद।**

**कार्यवाही का विवरणः** आज दिनांक 29.12.2024 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले 03 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया व 02 अभियुक्त

1. दीपक अली पुत्र राजू अली निवासी शंकर विहार खोड़ा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष, 2. प्रमोद कुमार पुत्र डोरी लाल निवासी ग्राम बहलोलपुर सै0 63 नोएडा उम्र करीब 55 वर्ष को इन्दिरापुरम अन्डरपास खोडा चौकी क्षेत्र लौधी चौक थाना खोड़ा गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से ई-रिक्शा से चोरी की हुई 16 बैट्री व 01 ठेला (तीन पहिया) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक अली पुत्र राजू व प्रमोद कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2),317(5) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

**पूछताछ का विवरण:** गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये सभी आपस में मिलकर गली व सडको पर खड़े ई-रिक्शा की रैकी करते थे और रात्रि में मौका मिलते ही ई-रिक्शा से बैट्री चोरी कर लेते थे और इन बैट्रीयो को ले जाकर दिल्ली के कबाडीयों को बेच देते है। इस प्रकार जो रुपये मिलते थे उन्हे आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे। इन सभी से बरामद ई-रिक्शा की बैट्री चोरी की है जिन्हे बेचने की फिराक में दिल्ली जा रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:**

1. दीपक अली पुत्र राजू अली निवासी शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
2. प्रमोद कुमार पुत्र डोरी लाल निवासी ग्राम बहलोलपुर सै0 63 नोएडा उम्र करीब 55 वर्ष।
3. 03 बाल अपचारी पुलिस हिरासत में।

**बरामदगी का विवरण:**

ई-रिक्शा की 16 बैट्री व 01 ठेला (तीन पहिया) बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:**

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक व प्रमोद उपरोक्त व 03 बाल अपचारी के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी के 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

थाना खोडा पुलिस टीम।

## थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 29.12.2024 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना निवाडी पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र हरेन्द्र निवासी जसवन्तनगर मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ को जानी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गैंगस्टर अभियोग में दिनांक 23.11.2024 को 01 वांछित अभियुक्त इन्दर उर्फ इन्द्रजीत पुत्र बनवारीलाल निवासी मुरलीपुर थाना मुण्डाली जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये लूट व चोरी जैसे अपराध कारित करता हूँ जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

दीपक पुत्र हरेन्द्र निवासी जसवन्तनगर मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ, उम्र करीब 26 वर्ष।

**अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर लूट का 01 अभियोग तथा थाना निवाडी पर गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना निवाडी पुलिस टीम।

**थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाईल लूट की घटना का 12 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये लूट करने वाले 02 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में किया घायल/गिरफ्तार , कब्जे से लूट के 03 मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व अवैध अस्लाह ,कारतूस बरामद।**

दिनांक 28.12.2024 को वादी की तहरीर जिसमें वादी की पत्नी का पर्स व एक अन्य व्यक्ति का मोबाईल दो अज्ञात मोटर साईकिल सवार द्वारा छीन कर भाग जाने की सूचना पर थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग के अनावरण हेतु टीमें गठित कर थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। बिजली घर चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल UP14FU 0841 पर दो लड़के आते दिखायी दिये जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक द्वारा मोटर साइकिल को पीछे मोडकर तेज गति से सीएसएचपी स्कूल हिन्डन सर्विस रोड की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछे करने पर मोटर साईकिल चालक द्वारा मोटर साईकिल को हिन्डन बैराज सर्विस रोड से जुडने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया जिससे मोटर साईकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी तथा मोटर साईकिल सवार अभियुक्तगण द्वारा पकड़े जाने के डर से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगा। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तगणों पर फायरिंग की गयी जिसमें एक अभियुक्त हर्ष कुमार उर्फ हर्षित पुत्र किशन लाल निवासी एच 791, सेक्टर 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद मौके पर घायल हो गया तथा दूसरे अभियुक्त अंशू पुत्र उमेश कुमार निवासी ननकी चौक सेक्टर 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व लूट के 03 मोबाईल एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त हर्ष कुमार उर्फ हर्षित को ईलाज हेतु जिला अस्पताल एमएमजी में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग नशा करने के आदि है। हम दोनों राहगीर व ई रिक्शा में बैठे व्यक्तियों के मोबाईल , पर्स व अन्य सामान को उनके हाथों से छीन कर अपनी इस मोटर साईकिल पर भाग जाते है। तथा जो रूपया मिलता है। उसे आपस में बांट लेते है। और अपने शौंक पूरे करते है। साहब जो फोन हमसे बरामद हुये है उसमें से एक फोन हमने कल पैदल जा रहे एक व्यक्ति से छीना था उसी दिन हमने ई रिक्शा में जा रही एक महिला का पर्स भी छीना था पर्स में रखा मोबाईल हमने राह चलते अनजान व्यक्ति को बेच दिया था तथा पर्स रास्ते में फेंक दिया था। हम दोनों फिर से किसी घटना को अंजाम देने की फिराकर में मोटर साईकिल पर घूम रहे थे। कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

**नाम पता अभियुक्त**

1. हर्ष कुमार उर्फ हर्षित पुत्र किशन लाल निवासी एच 791, सेक्टर 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष (उपचाराधीन एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद)
2. अंशू पुत्र उमेश कुमार निवासी ननकी चौक सेक्टर 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल टीवीएस राइडर (रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14FU0841)।
2. 01 अवैध तमंचे .315 बोर , 01 जिन्दा , 01 खोखा कारतूस .315 बोर (मुठभेड में बरामद)
3. 03 मोबाईल लूट के बरामद।

**गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

**थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर जोन द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 3900 रुपये असली नोट, 82 लाख 50 हजार रुपये नकली नोट, 06 आधार कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड, 03 पैन कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 एटीएम कार्ड, 01 ई-श्रम कार्ड, 01 WIFPA वर्कर कार्ड, 05 की-पैड मोबाइल, 05 एन्ड्राइड मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.12.2024 को वादी फैसल पुत्र इरफान निवासी इस्लामनगर कैला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि दो व्यक्ति इरशाद व अफजल ने 06 लाख नकली रुपये देकर चार गुना रुपये कमाने का लालच देना तथा धोखाधडी करते हुए 25 लाख नकली रुपये दिखाकर वादी से 1.50 लाख रुपये असली लेकर भाग जाने के सम्बन्ध मे दिया था। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है।

**कार्यवाही का विवरणः-** घटना का अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट की मदद से 03 अभियुक्त मौ0 शाहिद उर्फ अफजल, जियाउरहमान उर्फ इरशाद, मौ0 अली को चौधरी मोड से विजय नगर वाले पुल से जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 3900 रुपये असली नोट, 82 लाख 50 हजार रुपये चूरन के नोट, 06 आधार कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड, 03 पैन कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 एटीएम कार्ड, 01 ई-श्रम कार्ड, 01 WIFPA वर्कर कार्ड, 05 की-पैड मोबाइल, 05 एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद किये गये है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता अभियुक्त**

1- मौ0 शाहिद उर्फ अफजल उर्फ लड्डन उर्फ राज सिंघानिया उर्फ राज उर्फ लल्लन उर्फ लोकेन्द्र उर्फ जुल्फकार पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी म0न0- 48 भोगल जंगपुरा थाना निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी मेडीडी थाना औराई जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र 26 वर्ष
2- जियाउरहमान उर्फ इरशाद पुत्र इजाजुलहक निवासी म0न0- 315 ब्लाक 27 त्रिलोकपुरी दिल्ली मूल निवासी गाँब वभनगावां पोस्ट औराई थाना औराई जनपद मुजफ्फरपुर बिहार उम्र 51 वर्ष
3- मौ0 अली पुत्र मौ0 सबीर निवासी सैक्टर 05 हरौला मार्किट नोएडा मूल निवासी गाँव बस्ती फुलबडिला थाना बाजपट्टी जिला सीतामढी बिहार उम्र 40 वर्ष

**आपराधिक इतिहासअभियुक्त मौ0 शाहिद उर्फ अफजल उर्फ लड्डन उर्फ राज सिंघानिया उर्फ राज उर्फ लल्लन उर्फ लोकेन्द्र उर्फ जुल्फकार –**

दिल्ली मे 03 अभियोग धोखाधडी , 02 अभियोग आर्म्स एक्ट, 04 अभियोग चोरी के व 02 अभियोग अन्य भादवि कुल 11 अभियोग पंजीकृत।

**आपराधिक इतिहासअभियुक्त जियाउरहमान–**

दिल्ली मे 01 अभियुक्त धोखाधडी/आर्म्स एक्ट का पंजीकृत।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग चूरन के नोटो के ऊपर एक असली नोट लगाकर पन्नी मे गड्डी बनाकर बैंग मे रखकर सीधे साधे व्यक्ति को अपनी बातो मे फसाकर रुपयो को चार गुना करने का लालच देते है तथा बैंग मे भरे नोटो की व्यक्ति से वीडियो बनबाते है जिससे वह लालच मे आ जाता है अपने नाम पता के अलग अलग आधार कार्ड व पहचान पत्र भी बनवाते है जिससे हम अपनी पहचान छिपा सकें। और कडाई से पूछताछ पर अभियुक्त शाहिद द्वारा बताया गया कि मै धोखाधडी के मामलो मे पूर्व मे दिल्ली से जेल जा चुका हूँ मेरे ऊपर 11 मुकदमे दिल्ली मे दर्ज है

**बरामदगी**

1- 3900 रुपये असली नोट
2- 82 लाख 50 हजार रुपये चूरन के नोट
3- 06 आधार कार्ड,
4- 01 वोटर आईडी कार्ड,
5- 03 पैन कार्ड,
6- 02 ड्राइविंग लाइसेंस,
7- 01 एटीएम कार्ड,
8- 01 ई-श्रम कार्ड,
9- 01 WIFPA वर्कर कार्ड,
10- 05 की-पैड मोबाइल,
11- 05 एन्ड्राइड मोबाइल फोन,
12- 01 मोटर साइकिल

**गिरफ्तार करने वाली टीम**:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर जोन

**थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 29-12-24 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा नगर निगम मैदान नन्दग्राम के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 1 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**--

कमल तांती पुत्र मोहन तांती निवासी म0न0-79,80 गली नं0-2 चालीस फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**-

अभि0 कमल तांती उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 07 एनडीपीएस एक्ट के, 01 आबकारी एक्ट , व थाना सिहानी गेट पर 04 एनडीपीएस एक्ट व 02 आबकारी एक्ट के अभियोग पंजीकृत है।

**पूछताछ का विवरण**-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त तरूण रावत उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह मोहननगर बस अड्डे के पास से एक व्यक्ति से लेकर आता हूँ उसका नाम पता मालूम नही है और ना ही वह अपना नाम बताता है। मै यह गांजा पुडिया बनाकर मुनाफा कमाने के लिए राह चलते लोगो को बेच देता हूँ, जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ।

**बरामदगी का विवरण**—

1 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

**थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी हुई 400 वर्ष पुरानी श्रीमद भगवत गीता ग्रंथ को किया बरामद।**

दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 22.12.2024 तक थाना ई-ब्लाक रामलीला मैदान प्रताप विहार थाना विजयनगर में पंडित श्री राजेश शर्मा पुत्र स्व0 छत्रपति शर्मा निवासी 398 सेक्टर 11 प्रताप विहार अध्यक्ष भारतीय सनातन सेवा संस्थान के द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा था।दिनांक 19.12.2024 को व्यास पीठ पर विराजमान मुख्य भागवत गीता ग्रंथ को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में चुरा लिया गया जो करीब 400 वर्ष पुराना बताया गया था। उक्त सम्बन्ध में पंडित राजेश शर्मा द्वारा थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना विजयनगर पर पुलिस टीम गठित कर ग्रंथ की तलाश की जा रही थी कि दिनांक 28.12.2024 को समय करीब 18.00 बजे सूचना मिली कि हिंडन बैराज के पास हिंडन नदी के किनारे पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा जिसका मुंह बंधा हुआ रखा है। सूचना के आधार पर हिंडन बैराज पर जाकर उक्त कट्टे को खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर से अभियोग से सम्बन्धित श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ एक पीले कपड़े में लिपटा हुआ मिला। जिसे पंडित श्री राजेश शर्मा उपरोक्त को दिखाया गया, जिन्होनें देख कर बताया कि यही वह ग्रंथ है जो दिनांक 19.12.2024 को अज्ञात चोर द्वारा रामलीला मैदान प्रताप विहार से चुरा लिया था। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**बरामदगी का विवरण**

1-श्रीमद भगवत गीता ग्रंथ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना विजयनगर पुलिस टीम।